भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1197
03 दिसम्बर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा

1197. श्री नलिन सोरेन:
श्री सतपाल ब्रह्मचारी:
श्री गोपाल जी ठाकुर:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में यूरिया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड (डीईएफ) और अन्य उर्वरकों के स्थान पर जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का राज्य-वार ब्यौरा विशेष रूप से बिहार, झारखंड और सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित हरियाणा का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) जैविक खेती के माध्यम से किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्नों की खरीद हेतु सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(घ) जैविक खेती और गाय आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क): भारत सरकार कार्बनिक एवं जैविक उर्वरक सहित उर्वरकों के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य और जल धारण क्षमता में सुधार करने के लिए प्राथमिक रूप से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।

पीकेवीवाई के तहत, विभिन्न घटकों को कवर करने के लिए जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट बहुसंख्यक जैव उर्वरकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 15,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट आदि के लिए किसानों की सहायता करने हेतु 3 वर्ष के लिए प्रति हेक्टेयर 46,500/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट हेतु 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर 32500/-रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जिसमें किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में दिए जाने वाले 15,000/- रुपये शामिल हैं।

सरकार ने गोबरधन योजना के तहत संयंत्रों में उत्पादित जैविक उर्वरकों, जैसे एफओएम/एलएफओएम/प्रोम को बढ़ावा देने के लिए 1500 रुपये/एमटी की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) को अनुमोदन दिया है।

(ख): राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र तथा गाजियाबाद, नागपुर, बैंगलोर, इंफाल और भुवनेश्वर स्थित इसके क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र जैविक एवं प्राकृतिक खेती तथा कार्बनिक एवं जैविक-उर्वरकों के उत्पादन एवं उपयोग के संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऑनलाइन जागरूकता अभियान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती है तथा फ्रंटलाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि भी आयोजित करती है।

पीकेवीवाई (बिहार, झारखंड और हरियाणा सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को दिए गए प्रशिक्षण सहित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

बिहार सरकार ने सूचित किया है कि जैविक कॉरिडोर योजना और जैविक खेती प्रोत्साहन जैसी योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विभिन्न कार्यक्रम, वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों को 3 वर्षों की अवधि में 24,500/एकड़ की राशि प्रदान की जाती है। चरण-I में जैविक खेती के संबंध में कुल 21119 किसान प्रशिक्षित हुए तथा चरण-II में 20273 किसान प्रशिक्षित हुए हैं। जैविक कॉरिडोर योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित जिला-वार/चरण-वार किसानों की संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

झारखंड सरकार ने बताया है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 11,196 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है। इसका जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

हरियाणा सरकार ने बताया है कि वे वर्ष 2022 से जैविक खेती के बजाय गाय से प्राप्त उप-उत्पाद आधारित प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ष 2023-24 से कुल 13513 किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। अब, हरियाणा सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पीकेवीवाई योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7200 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 360 नए क्लस्टर गोद लिए हैं। इनका जिला-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(ग): यह योजना किसानों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण तथा विपणन व ब्रांडिंग गतिविधियों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इससे किसानों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए बेहतर बाजार संपर्क प्राप्त करने में मदद मिलती है।

(घ): सरकार देश में पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर नामक योजनाओं के माध्यम से किसानों को पारंपरिक/जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। राज्यों को किसानों की पसंद के आधार पर गाय से प्राप्त उप-उत्पाद पर आधारित जैविक खेती सहित पारंपरिक/जैविक खेती के किसी भी मॉडल को अपनाने के लिए पर्याप्त छूट दी गई है।

लो.स.अता.प्र.-1197

अनुबंध-I

वर्ष 2023-24 से पीकेवीवाई (बिहार, झारखंड और हरियाणा सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को दिए गए प्रशिक्षण सहित वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2023-24	2024-25
		जारी राशि	जारी राशि
पीकेवीवाई (रूपये लाख में)			
1	आंध्र प्रदेश	970.00	1398.00
2	**बिहार**	**402.00**	**205.00**
3	छत्तीसगढ़	1892.50	1188.00
4	गुजरात	196.00	141.00
5	गोवा	250.00	70.50
6	**हरियाणा**	**0.00**	**0.00***
7	**झारखंड**	**163.00**	**199.00**
8	कर्नाटक	2803.00	974.00
9	केरल	71.00	196.00
10	मध्य प्रदेश	33.00	750.00
11	महाराष्ट्र	1681.00	628.00
12	ओडिशा	791.00	373.50
13	पंजाब	0.00	0.00
14	राजस्थान	800.00	750.00
15	तमिलनाडु	1564.00	412.00
16	तेलंगाना	0.00	212.00
17	उत्तर प्रदेश	5881.00	1125.00
18	पश्चिम बंगाल	1717.00	373.75
19	हिमाचल प्रदेश	124.00	186.00
20	जम्मू एवं कश्मीर	148.00	335.50
21	उत्तराखंड	767.00	1400.00
22	अंडमान और निकोबार	33.00	0.00
23	पुदुचेरी	16.20	0.00
24	लद्दाख	183.00	0.00
	कुल	**20485.70**	**10917.25**
एमओवीसीडीएनईआर (रूपये लाख में)			
1	असम	3684.91	2030.99
2	मणिपुर	2805.38	0.00
3	मेघालय	2465.40	590.00
4	नागालैंड	2346.10	1062.00
5	मिजोरम	2336.16	573.00
6	अरुणाचल प्रदेश	2574.75	988.00
7	सिक्किम	3260.69	487.00
8	त्रिपुरा	3370.04	906.00
	कुल	**22843.43**	**6636.99**

*वर्ष 2024-25 में राज्य द्वारा गोद लिया गया नया क्षेत्र

लो.स.अता.प्र.-1197
अनुबंध-II

बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जिला-वार/चरण-वार प्रशिक्षित किसान

क्र.सं.	जिला	जैविक कॉरिडोर योजना	
		चरण–I (2019-20 to 2021-22)	चरण–I (2019-20 to 2021-22)
1	बेगूसराय	1789	2226
2	भागलपुर	2028	1168
3	भोजपुर	1072	1782
4	बक्सर	977	1478
5	कटिहार	888	1367
6	खगरिया	998	579
7	लखीसराय	1629	503
8	मुंगेर	771	495
9	पटना	1430	1857
10	समस्तीपुर	3425	2016
11	सारण	1462	2147
12	वैशाली	2156	2538
13	नालन्दा	2494	2117
कुल		**21119**	**20273**

झारखंड में वर्ष 2022-23 से जैविक खेती कार्यक्रम के प्रमाणन के तहत जिला-वार प्रशिक्षित किसान

क्र.सं.	जिला	किसानों की संख्या
1	रांची	897
2	सिंहभूम	999
3	रामगढ़	1279
4	धनबाद	999
5	साहेबगंज	709
6	लताहेर	816
7	सरायकेला	1124
8	सिमडेगा	1465
9	बोकारो	1450
10	पलामू	1458
	कुल	**11196**

लो.स.अता.प्र.-1197
अनुबंध- III

वर्ष 2023-24 से हरियाणा (सोनीपत सहित) जिले में प्राकृतिक खेती के तहत जिला-वार प्रशिक्षित किसान

क्र.सं.	**जिला**	**किसानों की संख्या**
1	अम्बाला	203
2	भिवानी	1116
3	चरखी-दादरी	1484
4	फरीदाबाद	164
5	फतेहाबाद	470
6	गुरूग्राम	208
7	हिसार	957
8	झज्जर	747
9	जींद	995
10	कैथल	328
11	करनाल	623
12	कुरूक्षेत्र	296
13	महेंद्रगढ़	909
14	नूह	727
15	पलवल	755
16	पंचकुला	57
17	पानीपत	327
18	रेवाड़ी	613
19	रोहतक	457
20	सिरसा	1162
21	**सोनीपत**	**515**
22	यमुनानगर	400
	कुल	**13513**

*****